

CHECKLIST

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from National Highway Authority of India for diversion (Under FCA-1980) of 0.771 ha. Forest land for the non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Urga section from Km. 0+000 to Km. 70+200 section of NH-130A in the State of Chhattisgarh. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on
09/07/2020

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Revenue Forest measuring 0.771 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col – 2 Part-1 is unavoidable and is the barest minimum required for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders Project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so the details thereof – **NIL**


Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in this area. If so the details thereof with N.O.C. from competent authority if required – **NIL**

(A) The User agency has not violated provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction:- YES

(B) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act 1980 provision. A detail report as per para 1.9 of chapter I part C of Handbook of Forest (Conservation) Act 1980 is attached – NO

Specific Recommendation for acceptance of otherwise of the proposal:

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE.


Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn, Bilaspur (C.G.)
Kumar Nishant (IFS)

Place-Bilaspur

Date.....04/08/2020

N.B. X- State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted

XX- Out of (a) & (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter No. 2-/2000-FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment & Forests Government of India for proposal involving less than 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the CF is required.

SITE INSPECTION PHOTO.



DY. MANAGER TECH.
NHAI, PIU, Bilaspur (C.G.)

PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Bilaspur (C.G.)

Divisional Forest Officer
Bilaspur Dh. Bilaspur (C.G.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग -1

(प्रयोक्ता द्वारा भरा जाना है)

(प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....)

1. परियोजना का विवरण
राज्य /संघ शासित क्षेत्र
जिला
वन विभाग
वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर) - 0.771 हेक्टर
(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना /स्कीम का विवरण |
(ii) 1:50,000 स्कैल मेप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शनी वाला मैप | संलग्न है |
(iii) परियोजना की लागत |
लगभग 105300 लाख रुपये |
(iv) वनक्षेत्र के परियोजना स्थापित करने का औचित्य
प्रस्तावित परियोजना बिलासपुर और कोरबा के बीच यातायात के अनुभव में सुधार लायेगा। मौजुदा सड़क संकीर्ण और घुमावदार है और इस तरह के भारी यातायात को सुचारू रूप से संभालने के योग्य नहीं है। प्रस्तावित सड़क जो की सीधा और चौड़ा बनाया जाएगा ताकि मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
संलग्न है, पेज क्रमांक
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है |
स्थायी - 148, अस्थायी (मजदूर दिवस संख्या) - 225649 रोजगार निर्माण के दौरान उपलब्ध रहेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उददेश्य विवरण |
सड़क निर्माण हेतु 527.598 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है |
किसी प्रकार की विस्थापन नहीं हो रही है।

(i) परिवारों की संख्या

Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.G.)
कुमार नशिंत (IFS)

|

(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों की संख्या लागू नहीं ।


(iii) पूर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
लागू नहीं ।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?
मंजूरी संलग्न है ।

(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या
लागू नहीं ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की
लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और
सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
संलग्न है ।

6. निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा ।
संलग्न है ।



Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.G.)
कुमार नशींत (IFS)

भाग-2

(संबंधित वन उपसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या दिनांक.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान - बिलासपुर, जांजगीर - चांपा तथा कोरबा

क्र०	वांछित जानकारी	विवरण
1	2	3
1	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
2	जिला	बिलासपुर
3	वन प्रभाग	बिलासपुर वनमंडल
4	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.771 हें वन भूमि
5	वन की क्रान्तीनी स्थिति	राजस्व वनभूमि
6	हरियाली का घनत्व	
7	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न किये जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध एफ.आर.एल.एफ. 4 मीटर भी संलग्न किये जावे	संलग्न पेज क्र०
8	भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी	आवश्यकता नहीं
9	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वनसीमा से अनुमानित दुरी	लगा हुआ है।
10	क्या फार्म राष्ट्रीय उधान, वन्य जिव अभ्यारण जैव मंडल रिजर्व बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जिव वार्ड की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	आवेदित क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उधान वन्य जिव अभ्यारण जैवमंडल रिजर्व बांध, रिजर्व हाथी कोरीडोर नहीं है। वर्तमान में भी प्रस्तावित नहीं है।
11	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें	आवेदित क्षेत्र में कोई वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।
12	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि-निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधिकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है।
	जिला वन संरक्षक की स्थल निरिक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7,8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न पेज क्रमांक

विभाग/जिला प्रोफाइल	जांजगीर चांपा
i. जिले की भौगोलिक क्षेत्र	350848.000 हेक्टेयर
ii. जिले का वन क्षेत्र	78336.000 हेक्टेयर
iii. मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	723.378 हेक्टेयर
iv. 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	1166.280 हेक्टेयर
ख. वनेतर भूमि	8.391 हेक्टेयर
v. 25-07-2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति 20-07-2019	
क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	89.031 हेक्टेयर
ख. वनेतर भूमि	0.000 हेक्टेयर
13 प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	अनुशासित

स्थान

दिनांक 09-10-2020



वनमण्डल अधिकारी
बिलासपुर वनमंडल
कुमार निशांत (IFS)

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव

पर वन संरक्षण / वनमण्डाधिकारी का स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	:	Diversion of Revenue forest for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Urga section (from Km. 0+000 to Km. 70+200) of NH-130A in the State of Chhattisgarh.
2	आवेदक / आवेदिका का नाम	:	प्रयोजना निर्देशक (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू. बिलासपुर)
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	:	0.771 हेक्टेयर
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला बिलासपुर वन मण्डल बिलासपुर
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	:	परियोजना स्थल - बिलासपुर
	क. आरक्षित वन / संरक्षित	:	Nil
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	:	Nil
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	:	Nil
	घ. राजस्व वन क्षेत्र	:	ग्राम का खसरा कं, आबंटित क्षेत्र
		गांव का नाम	क्षेत्रफल
		मुडपार(खसरा क्र. 310)	0.65
		मुडपार(खसरा क्र. 138)	0.047
		मुडपार(खसरा क्र. 41/1)	0.074
		योग	0.771
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति का प्रकार	:	राजस्व वन क्षेत्र साईट कालिटी - I/II/III/IV/A/IV/B/V घनात्वा - 0.3 / >0.3 से 0.6 तक / >0.6
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	वृक्षों का विवरण संलग्न है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	निरंक
9	आवेदित क्षेत्र की विशेषकर खनिज प्रकरणों से मुख्य से (पी.डब्ल्यू.डी./मार्ग आदि) से दुरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	:	DGPS Map संलग्न है

10	क्या आवेदित क्षेत्र की.मी. Ecologically Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उधान अभ्यारण बायोस्फेरर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर स्प्ल) की सीमा के 5 वर्ग की.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	:	Nil
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य वन गैर क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं है। (विशेषकर खनिज उत्खन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग की.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरिक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)	:	Nil
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंधन किया गया है, या नहीं? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवे।	:	कोई नियम उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/ विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरिक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मां की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरिक्षण स्थल - मुडपार

दिनांक -

वनमण्डल अधिकारी
बिलासपुर वनमंडल
Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.G.)
कुमार नशीत (IFS)

PART - II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Serial No. of proposal FP/CG/ROA D/34338/2018

7.	Location of the project/Scheme - Forest land Diversion of 47.552 Ha for non- forest Purpose for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Urga section from Km. 0+000 to Km. 70+200 section of NH-130A in the State of Chhattisgarh	
(i)	State/Union Territory	CHATTISGARGH
(ii)	District.	BILASPUR
(iii)	Forest Division	BILASPUR
(iv)	Area of forest land proposed for diversion (in ha.)	0.771
(v)	Legal status of forest	REVENUE FOREST LAND
(vi)	Density of vegetation.	0.3, eco Class-III
(vii)	Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation / hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)	Attached in proposal
(viii)	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	Not vulnerable to erosion due to low gradient i.e. 1:200 to 1:500
(ix)	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	Contiguous
(x)	Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed).	NO
(xi)	Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area- if so details thereof.	NO
(xii)	Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	NO
8.	Whether the requirement of forestland as proposed by the user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.	0.771 Hectare is the minimum area of Forest land involved which is unavoidable and barest minimum.
9.	Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.	NO
	Details of compensatory afforestation scheme:	


Divisional Forest Officer
Bilaspur Dt. Bilaspur (C.G.)
Kumar Nishant (IFS)

(i)	Details of non forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	Compensatory afforestation Land – Area – 95.205 ha, Compartment no. - 2355 in Marwahi forest division. CA Scheme attached.
(ii)	Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	Attached in proposal
(iii)	Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.	Attached in proposal
(iv)	Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	Rs. 6,91,44,553/- (Rupees Six Crore Nifty One Lakh Forty Four Thousand Five Hundred Fifty Three Only)
(v)	Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).	Attached in proposal
11.	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.	Attached in proposal
12.	Division/District profile:	
(i)	Geographical area of the district.	350848.000 Ha.
(ii)	Forest area of the district.	78336.000 Ha.
(iii)	Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	723.378 Ha.
(iv)	Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on a. forest land including penal compensatory afforestation b. Non-forest land.	a. 1166.280 Ha. b. 8.391 Ha.
(v)	Progress of compensatory afforestation as on (date) <u>25.07.2020</u> on 30.07.2019 (a) forest land (b) non-forest land.	a. 89.031 Ha. b. 0 Ha.
13.	Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	The Proposal is acceptable in public interest, Hence recommended for approval.

Date:-

Place:-Bilaspur

09/07/2020
Signature
Kumar Nishant (IFS)
Official Seal